



2026: AHC: 24137-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **287/2026**

अभिनेंद्र प्रताप सिंह एवं 3 अन्य याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ओम प्रकाश चौबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सीमा अग्रवाल, स्थायी अधिवक्ता, रितेश तिवारी

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, जो कथित रूप से जनहित में है, याचिकाकर्ताओं द्वारा मौजा बसहिया @ कप्तानगंज, तहसील कप्तानगंज, जिला कुशीनगर में स्थित भूमि की खरीद से संबंधित पंजीकरण के लिए क्रेताओं पर 2% अतिरिक्त स्टांप शुल्क लगाने के विरुद्ध उप-निबंधक (स्टांप), कप्तानगंज, जिला कुशीनगर पर रोक लगाने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से उसमें बताए गए आधार पर याचिकाकर्ताओं से 2% अतिरिक्त स्टांप शुल्क की वसूली के विरुद्ध व्यथित हैं।
3. चूंकि शिकायत याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादियों की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाना होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उप-निबंधक/उप-पंजीयक द्वारा किए गए निर्धारण पर सवाल उठाने के लिए जनहित याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं है। अतः याचिका को खारिज किया जाता है, तथा याचिकाकर्ताओं के लिए कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का विकल्प खुला छोड़ दिया जाता है।

दिनांक: 4 फरवरी, 2026

आर.के./ए.के.शुक्ला

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"